

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग  
प्रारम्भिक शिक्षा (प्रायोजना) अनुभाग  
अधिसूचना  
जयपुर, जुलाई 12, 2010

संख्या प. 21 (19) शिक्षा-1/प्राशि/2009 :— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा राज्य में बाल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकृत करने हेतु राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उदयपुर को शैक्षिक प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकृत करते समय उपरोक्त वर्णित अधिनियम, 2009 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अनुसार शैक्षिक प्राधिकारी निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखेगा :—

- (क) संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुसृतता;
- (ख) बालक का सर्वांगीण विकास;
- (ग) बालक के ज्ञान, अन्तःशक्ति, योग्यता का विकास करना;
- (घ) पूर्णतम भाला तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास;
- (ङ) बाल अनुकूल और बाल केन्द्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और लीज के द्वारा शिक्षण;
- (च) शिक्षा का माध्यम, जहाँ तक सम्भव हो, बालक की मातृभाषा में होगा;
- (छ) बालक को मर्यादा, मानसिक लक्ष्यता और विन्यासित बनाना और बालक को स्वतन्त्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता प्रदान करना;
- (ज) बालक के सम्झने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत् मूल्यांकन।

भ्राजा से,  
कृष्ण कुमार शर्मा  
शासन सचिव,  
प्रारम्भिक शिक्षा (प्रायोजना) अनुभाग।